दिनांक 30 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, 5 वां तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त।

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव श्रीमती शकुंताला डी गामलिन ने शासी निकाय के सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव डॉली चक्रवर्ती से शासी निकाय के विचारार्थ कार्यसूची बिंदुओं को संक्षेप में स्पष्ट करने का अनुरोध किया।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव डॉली चक्रवर्ती ने कहा कि शासी निकाय पर पहली बैठक दिनांक 09.02.2018 को आयोजित की गई थी। शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि निधियों को एक सोसायटी / या न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और आयकर अधिनियम की धारा 12 (क) के तहत भी पंजीकृत होना चाहिए। शासी निकाय ने निधि के निवेश के तरीके का सुझाव देने और निधि के तहत योजना / गतिविधियों का सुझाव देने के लिए भी उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की। समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। शासी निकाय समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर सकता है, दिनांक 09.02.2018 के अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर ध्यान दे सकता है। शासी निकाय को पूर्ववर्ती न्यास निधि के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में 2017-18 (अर्थात् जुलाई-दिसंबर, 2017) की पहली दो तिमाहियों के दौरान एनएचएफडीसी द्वारा प्राप्त नए आवेदनों के संबंध में छात्रवृत्ति प्रदान करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

3. शासी निकाय के कार्यसूचीवार निर्णय निम्नानुसार हैं:-

कार्यसूची मद	**शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन**
कार्यसूची बिंदु संख्या 1: दिनांक 9 जनवरी, 2018 को आयोजित शासी निकाय की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।	• समिति ने कहा कि राष्ट्रीय निधि के पैन और टैन प्राप्त कर लिए गए हैं। • एक न्यास के रूप में निधि के कार्यकरण के लिए एक न्यास विलेख (डीड) निष्पादित किया गया है। • 12 (क) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि इसका पालन किया जाना चाहिए। • समिति ने नए बचत और फ्लेक्सी खाते खोलने के संबंध में की गई अन्य कार्रवाई; हस्ताक्षर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत अधिकारी के बारे में ध्यान दिया । • शासी निकाय ने नोट किया कि अब तक आरबीआई सेविंग बॉन्ड प्रति वर्ष 7.75% ब्याज उत्पन्न करता है। मौजूदा नियमों के अनुसार इस निधि को आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में निवेश किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए धारा 12 (क) प्रमाणपत्र जरूरी है। • शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि 12 (क) के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी

की जानी चाहिए और बाद में आरबीआई बॉन्ड में 250 करोड़ रुपये की राशि का निवेश पूरा किया जाना चाहिए।

- शासी निकाय ने नोट किया कि पहले की दो योजनाएं अर्थात् एनएचएफडीसी की छात्रवृत्ति योजनाएं और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पायलट आधार पर शुरू की गई स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना को रोक दिया गया है। तथापि, पूर्ववर्ती न्यास निधि के अंतर्गत मौजूदा नामांकित छात्रों के संबंध में छात्रवृत्तियां उनके संबंधित पाठ्यक्रमों में अध्ययन पूरा होने तक राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तपोषित की जाती रहेंगी। शासी निकाय ने आगे कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए पहली दो तिमाहियों के दौरान एनएचएफडीसी द्वारा प्राप्त नए आवेदन को एक अलग कार्यसूची के रूप में रखा गया है।
- शासी निकाय ने नोट किया कि मार्च 2019 तक मेसर्स दुबे को सेवाएं देने के लिए कार्यालय आदेश जारी किया गया है।
- जहां तक पूर्ववर्ती राष्ट्रीय निधि और न्यास निधि के आयकर मामले से संबंधित संवीक्षा/अपील के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सीए की नियुक्ति का संबंध है, शासी निकाय ने पाया कि फर्म द्वारा प्रस्तावित शुल्क अधिक है और नीचे दर्शाई गई दर के अनुसार फर्म को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए नियोजित करने का निर्णय लिया गया है: -

वास्तविक राशि	**शासी निकाय द्वारा अनुमोदित राशि (20% कटौती के बाद)**
क. एवाई 2014-15 के लिए पूर्ववर्ती न्यास निधि के अंतर्गत सीआईटी (अपील) से संबंधित 2,36,000/- रुपये	रू.**188800/-**
ख. एवाई 2013-14 के लिए पूर्ववर्ती न्यास निधि के अंतर्गत सीआईटी (अपील) से संबंधित 2,36,000/- रुपये	रू. **188800/-**
ग. एवाई 2010-11 के लिए पुराने राष्ट्रीय निधि के तहत संवीक्षा मामले से संबंधित 1,35,700/- रुपये	रू. **108560/-**
घ. एवाई 2015-16 के लिए पूर्ववर्ती न्यास निधि के अंतर्गत संवीक्षा मामले से	रू. **108560/-**

	संबंधित 1,35,700/- रुपये • जहां तक एनएचएफडीसी द्वारा कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में बाजार अनुसंधान और विकास केन्द्र को दूसरी किस्त जारी करने का संबंध है, शासी निकाय ने कहा कि एजेंसी द्वारा डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई है और कुछ टिप्पणियां की गई हैं। एक बार एजेंसी इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तो दूसरी किस्त जारी करने पर डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।
कार्यसूची बिंदु संख्या 2: शासी निकाय द्वारा गठित समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाओं/दिशानिर्देशों पर विचार करना।	• शासी निकाय ने संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सुश्री डॉली चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार किया, जिसे अनुबंध-II पर रखा गया है। • शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत योजना के लिए दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर रखा जाएं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभाग के सभी स्वायत्त निकाय और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच व्यापक प्रसार के लिए परिचालित किया जा सकता है।
कार्यसूची मद सं. 3: छात्रवृत्ति योजना के लिए एनएचएफडीसी का नया प्रस्ताव: दिसंबर 2017 तक प्राप्त 971 नई छात्रवृत्तियों (760 पुरुष + 211 महिला छात्र) और वर्ष 2021-22 तक उनके नवीकरण के लिए शासी निकाय का अनुमोदन आवश्यक है, जिसमें कुल देयता 11,44,94,359/- रुपये होगी।	क) शासी निकाय ने एनएचएफडीसी द्वारा दिसंबर 2017 तक प्राप्त 971 नए आवेदकों (760 पुरुष + 211 महिला छात्रों) को छात्रवृत्ति प्रदान करने और वर्ष 2021-22 तक उनके नवीकरण को मंजूरी दे दी, जिसकी कुल अतिरिक्त देयता 11,44,94,359 /- रुपये होगी। - ख) एनएचएफडीसी द्वारा किसी भी दोहरेपन से बचने के लिए इन 971 आवेदनों की जांच विभाग के छात्रवृत्ति अनुभाग के साथ की जाएगी। ग) एनएचएफडीसी मार्च, 2018 में जारी निधि से पात्र नए आवेदकों को तत्काल छात्रवृत्ति निधि (16.51 करोड़ रुपये) में से वितरित करेगा और तत्काल रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
कार्यसूची मद सं. 4: शासी निकाय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शेष स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रीय निधि के तहत स्टाफ नीति को आगे अपनाना।	शासी निकाय ने इच्छा व्यक्त की कि दिनांक 09.01.2018 को आयोजित बैठक में उसके द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी और लेखाकार की भर्ती की उचित प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
कार्यसूची मद सं. 5: निधि की वर्तमान स्थिति का जायजा लें और इसके निवेश तथा किसी भी सरकारी/पीएसयू बैंक में नया बचत बैंक खाता खोलने पर आगे का निर्णय लें।	शासी निकाय ने कार्यसूची में उल्लिखित निधि की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया।

(i) वर्तमान में सावधि जमा में 251,02,52,185/- रुपये का निवेश किया गया है। (ii) सितंबर 2019 तक एफडी की परिपक्वता मूल्य 266,36,55,828 रुपये होगी। बचत बैंक खातों में 30,55,27,507 रुपये उपलब्ध हैं।	

अनुबंध **-I**

प्रतिभागियों की सूची

क शासी निकाय के सदस्य

1	सुश्री शकुंताला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	अध्यक्ष
2	डॉ. कमलेश कुमार पांडेय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड	सदस्य
3	श्री क्षितिज मोहन, निदेशक (आईएफडी), डीईपीडब्ल्यूडी (सुश्री टीसीए कल्याणी, जेएस एंड एफए, एम/ओ एसजे एंड ई के प्रतिनिधि)	सदस्य
4	श्री गुलाब सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5	श्री वेन्नापूसा श्रीनिवासुलु रेड्डी (पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के प्रतिनिधि)	सदस्य
6	श्री अमित शर्मा (बौद्धिक दिव्यांगता के प्रतिनिधि)	सदस्य
7	सुश्री डॉली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	संयोजक और सीईओ

ख विभागीय अधिकारी

8	श्री डी. आर. सरीन - सीएमडी, एनएचएफडीसी	
9	श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	
10	श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	